न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 07/2017

1. गुरूचरणसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह जाति जटसिख निवासी चक न 7 जी.जी.एम गोगामेडी हाल निवासी विरदकलान तहसील व जिला भटिण्डा जरिये मुख्त्यारआम फुलासिंह पुत्र सरदारासिंह निवासी चक 5 जी.जी.एम. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–निगरानीकर्ता/प्रार्थी

बनाम

1. हरिराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी गोगामेंडी तहसील नोहर।
2. ग्राम पंचायत गोगामेड़ी जरिये सरंपच ग्राम पंचायत गोगामेड़ी तहसील नोहर।
3. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1
श्री रोहिताश सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3

निर्णय

दिनांक–16.08.2024

प्रार्थी गुरूचरणसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह जाति जटसिख निवासी चक नं0 7 जी.जी.एम गोगामेडी हाल निवासी विरदकलान तहसील व जिला भटिण्डा जरिये मुख्त्यारआम फुलासिंह पुत्र सरदारासिंह निवासी चक 5जी.जी.एम. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ द्वारा विरूद्व निर्णय दिनांक 06.02.2014 बअनवानी हरीराम बनाम गुरूचरणसिंह आदि प्रकरण संख्या 19/2011 अदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पचांयत समिति नोहर तहसील नोहर को अपास्त किये जाने बाबत निगरानी प्रस्तुत की है जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:24 IST
Reason: SelfAttested

1. निगरानीधीन निर्णय दिनांक 06.02.2014 प्रकरण सं0 19/011 बअनवानी हरिराम बनाम गुरूचरणसिंह आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

समिति नोहर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत विधि की स्पष्ट अवहेलना में पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।

2. निगरानीधीन निर्णय पारित करते समय मातहत अदालत ने प्रार्थी/निगरानी कर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया तथा जवाब देही व साक्ष्य अथवा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही मातहत अदालत ने एक तरफा मनमाना व अनुचित तौर से नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में पारित किया है जो अपास्तनीय है।

3. ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान तहसील नोहर मिसल सं0 195/85 तारीख दायरा 22.08.85 पटटा सं0 20 किमतन 250 रूपये अखरे दो सौ पंचायत रूपये में तारीख दिनांक 22.03.86 को प्रार्थी गुरूचरणसिंह पुत्र बाबुसिंह निवासी चक नं0 7 जीजीएम गोगामेड़ी के पक्ष में जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड के उतर में प्लाट सं0 22 व दक्षिण में प्लाट सं0 20 पूर्व में खाली आबादी, पश्चिम में आम गली 30 फुट स्थित है। यह प्लाट नोहर–भादरा सड़क के उतरी पासे स्थित है, जो 75 गुणा 100 फुट के नाप का है। उक्त पटटा साधिकार विधिवत प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया है तथा नियमानुसार समस्त प्रकिया को अपनाकर प्रार्थी के पक्ष में उक्त पट्टा जारी किया गया है तथा प्रार्थी ने सन् 1985 से लेकर आजतक उक्त प्लाट मकान बनाकर काबिज है तथा प्रार्थी उक्त पटटे शुद्वा भूखण्ड से 32 वर्ष से काबिज है एवं उसके आधिपत्य में है। उक्त कानुनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर मातहत अदालत ने निगरानीधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

4. मातहत अदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के समक्ष अपील सं0 15/99 निर्णय दिनांक 11.10.99 गुरचरणसिंह बना सत्येन्द्रसिंह, जितेन्द्र पि0 हरीराम निर्णय दिनांक 11.10.99 पारित किया गया जिसमें अप्रार्थी का पट्टा खारिज किया गया तथा प्रार्थी के पक्ष में जारी पटटा दिनांक 22.03.86 को वैध माना है तथा प्रार्थी गुरूचरणसिंह को पट्टा सं0 21 मिसल सं0 195/85 जारी दिनांक 22.03.1986 को ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान द्वारा जारी किया गया है जिस पर बनाम पार्टी को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 23.08.90 को पट्टा 200/130 फुट का जारी किया गया है। प्रार्थी के प्ला[illegible] गली 20 फुट सहित भीतर आ जाता है व प्लाट सं0 35 व 36 का भी कुछ [illegible] शामिल करते बनाया गया है तथा अप्रार्थी के पुत्रों [illegible] मिसल सं0 व पट्टा सं0 भी अंकित ही नही है जिससे जाहिर होता है कि [illegible] प्रार्थी के पुत्रो के पक्ष में पट्टा फर्जी तौर से बनाया गया है। अप्रार्थी के पुत्रो के पट्टे दिनांक 11.10.1999 को खारीज करने से द्वेष भावना व रंजिश वंश अप्रार्थी ने निगरानी पेश है। अप्रार्थी कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सामाजिक कार्यकर्ता नही है। खुद के पटटे खारीज होने की वजह से उक्त निगरानीधीन अप्रार्थी ने प्रस्तुत की थी, जिसको उसको कोई अधिकार क्षेत्र हासिल नही था। द्वितीय प्रार्थी का पटटा दिनांक 11.10.99 के निर्णय में सही व विधि अनुकुल माना है। इसलिए निगरानीधीन निर्णय दिनांक 11.10.99 के निर्णय की अवहेलना में पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।

5. अप्रार्थी सं0 1 का प्लाट नं. 20 प्रार्थी के दक्षिण में फर्जी एवं अवैध तरीके से जारी किया गया था, जो खारीज हो गया। इसी वजह से प्रार्थी के विरूद्ध अप्रार्थी ने निगरानी पेश की थी तथा प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति द्वारा मौका रिर्पोट तैयार की गई है, उसमें प्रार्थी का पटटे शुद्वा भूखण्ड से किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई ऐतराज नही है तथा प्रार्थी के भूखण्ड के पूर्व में सड़क है तथा उतर में रास्ता फिर आगे प्लॉट सं0 22 है तथा आबादी क्षेत्र में प्रार्थी का पट्टा विधिवत तौर से जारी किया गया है। प्रार्थी ने किसी भी सार्वजनिक स्थल का पटटा जारी नही करवाया 32 वर्ष पूर्व पटटा जारी किया है। मातहत अदालत ने उक्त तथ्यो को नजर अन्दाज कर निगरानीधीन निर्णय पारित किया है तथा वाद स्थल पर किसी भी सार्वजनिक स्थान का कोई पटटा नही है केवल अप्रार्थी स्वंय का पटटा फर्जी घोषित होने से प्रार्थी के विरूद्ध अपील पेश की थी जो निराधार बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित थी । मातहत अदालत ने उक्त कानुनी बिन्दु की अवहेलना में निगराधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

6. माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर में उक्त सम्बध में रिट जैरकार थी। जिसके तहत प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश भी जारी था। मातहत अदालत ने उक्त कानुनी बिन्दु की अवहेलना में निगराधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

7. मातहत अदालत के समक्ष अप्रार्थी 32 वर्ष बाद अपील पेश की है प्रथम तो इतनी लम्बी अवधि बाद कोई अपील पेश नही की जा सकती है द्वितीय दफा 5 मियाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश नही किया फिर भी मियाद बाहर प्रकरण होने के बावजुद मातहत अदालत ने उक्त निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:24 IST
Reason: SelfAttested

8. निगरानीधीन निर्णय दिनांक 06.02.2014 प्रकरण सं. 19/2011 अनवानी हरीराम बनाम गुरूचरणसिंह आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर एक तरफा बिना किसी सुनवाई के किया गया है जिसका प्रार्थी को कभी कोई ज्ञान नही था दिनांक 01.05.17 को अप्रार्थी ने प्रार्थी के भूखण्ड पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

कब्जा करने की कोशिश की तो प्रार्थी को उक्त निगरानीधीन निर्णय का पता चला जिस पर शीघ्र प्रमाणित प्रति हेतु प्रार्थी ने नकल हेतु आवेदन किया दिनांक 02.05.17 को निगरानीधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर खर्चा आदि की व्यवस्था करके बिना किसी देरी के प्रार्थी निगरानी प्रस्तुत कर रहा है जिससे निगरानी दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ मय शपथ पत्र पेश की जा रही है जिससे निगरानी ज्ञान से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

9. निगरानी न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार की है व अन्दर मियाद है तथा मुर्करर न्याय शुल्क पर तहरीर कर प्रस्तुत है।

अतः निगरानी प्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 06.02.2014 प्रकरण सं0 19/2011 अनवानी हरिराम बनाम गुरूचरणसिंह आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर को अपास्त फरमाया जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से श्री हवासिंह पूनियां एडवाकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–02 बाद तामिल भी उपस्थित नहीं हुये। अप्रार्थी संख्या –03 की ओर से श्री रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत गोगामेड़ी पूर्व में ग्राम पंचायत ढिलकी के अन्तर्गत था। ग्राम पंचायत ढिलकी द्वारा जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 22.08.85 पर अंकित मिसल संख्या 195/85 पर आबादी भूमि के विक्रय रजिस्टर में प्रार्थी का नाम दर्ज न होकर अन्य व्यक्ति धर्मपाल पुत्र खेताराम का नाम अंकित है। अतः मिसल संख्या 195/85 धर्मपाल पुत्र खेताराम के नाम से दर्ज है। ग्राम पंचायत ढिलकी द्वारा जारी पट्टा में कां[illegible]ट [illegible] उतरी दिशा का पड़ौसी प्लॉट नं0 20 दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय प्र[illegible] स्थापना एंव स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 06.02.2014 को पारित निर्णय विधि सम्मत है क्योंकि मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार विवादित स्थल प्लॉट संख्या 22 व 20 के बीच स्थित है। इस भूखण्ड के पश्चिम में धर्मशाला स्थित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

द्वारा दिनांक 06.02.2014 को पारित निर्णय उचित है। निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–03 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत एंव नियमानुसार प्रक्रिया अपना कर सार्वजनिक धर्मशाला का ध्यान रखते हुए निर्णय पारित किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्त उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया तो पाया कि ग्राम पंचायत ढिलकी द्वारा दिनांक 22.03.86 को पट्टा संख्या 20 मिसल संख्या 195/85 द्वारा जारी किया गया है। लेकिन आबादी भूमियों के विक्रय का रजिस्टर के अनुसार मिसल संख्या 195/85 दिनांक 07.08.85 पर धर्मपाल पुत्र खेताराम का नाम अंकित एंव पट्टे में भूखण्ड की उतरी सीमा में कांट–छांट कर प्लॉट नं0 22 अंकित किया गया है। पट्टे के तीनो आसा–पासा में कांट–छांट कर जारी किया गया, जो देखनें से संदेहस्पद प्रतीत होता है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार विवादित जगह धर्मशाला के आगे स्थित है एंव पूर्व दिशा में आम रास्ता तक खाली है। ग्राम पंचायत ढिलकी द्वारा दिनांक 22.03.86 को राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत(सामान्य) नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है।

राजस्थान पचांयत तथा न्याय पंचायत(सामान्य) नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार–

(1) पंचायत निम्नलिखित मामलों में, किसी भी आबादी भूमि का निजी बातचीत द्वारा विक्रय के रूप में हस्तातंरण कर सकेगी–

(क) जहां कोई व्यक्ति भूमि पर सत्याभासक (plausible) स्वत्व का दावा रखता हो और नीलाम से उचित कीमत प्राप्त न हो सके,

(ख) जहां ऐसे कारणों से जिन्हें कि अभिलिखित किये जायेगा, पंचायत का यह विचार हो कि नीलाम भूमि का निर्वतन(disp) का एंव सुविधाजनक तरीका नहीं होगा, और

(ग) यदि ऐसा तरीका पंचायत द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति के लिए, आवश्यक समझा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swamkar
Date: 2024.09.09 12:55:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बोहर (हनुमानगढ़)

(2) पंचायत संकल्प द्वारा किसी भी आबादी भूमि को, जिसका कि सम्भावित मूल्य 200/–रू. से अधिक नहीं हो, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी संस्था के पक्ष में, विक्रय के जरिये, उसके लिए कोई भी कीमत वसूल किये बिना, हस्तान्तरित कर सकेगी।

ग्राम पंचायत ढ़िलकी द्वारा दिनांक 22.03.86 को जारी पट्टा के संबध में राजस्थान पचांयत तथा न्याय पंचायत(सामान्य) नियम 1961 के नियम 266 लागू नहीं होता है। अतः न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन स्थापना एंव स्थाई समिति पंचायत समिति, नोहर द्वारा दिनांक 06.02.2014 को पारित निर्णय विधि सम्मत एंव न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2014 को पारित निर्णय में कोई भूल नहीं की है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावें। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.8.24 को सरेइजलास सुनाया गया

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:24 IST
Reason: SelfAttested